¹[Rule 109 : Application to the Appellate Authority

- (1) An application to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 107 shall be filed in **FORM GST APL-03**, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner and a provisional acknowledgment shall be issued to the appellant immediately.
- (2) Where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal under sub-rule (1):

Provided that where the decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of seven days from the date of filing of **FORM GST APL-03** and a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in **FORM GST APL-02** by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

Provided further that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of **FORM GST APL-03**, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of appeal.]

¹ Rule 109 substituted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;Rule 109: Application to the Appellate Authority

⁽¹⁾ An application to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 107 shall be made in **FORM GST APL-03**, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner.

⁽²⁾ A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of filing the application under sub-rule (1) and an appeal number shall be generated by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf. "

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 109 : अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन

- (1) धारा 107 की उपधारा 2 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को एक आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल—03 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ, या तो इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, फाईल की जायेगी और अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (2) जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहां अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल—03 फाईल करने की तारिख से 07 दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व—अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभीस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुये, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में जारी की जाएगी, और अंनतिम अभीस्वीकृति जारी करने की तारिख को अपील फाईल करने की तारिख माना जायेगा:

परंतु यह कि जहां निर्णय या आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहां अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल—03 फाईल करने की तारिख से सात दिनों की अविध के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व—अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलिय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु यह और कि जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व—अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल—03 फाईल करने की तारिख से 07 दिनों की अविध के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारिख को अपील फाईल करने की तारीख के रूप माना जायेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 26 / 2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा नियम 109 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022) प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 109 इस प्रकार था

[&]quot;नियम 109 : अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन

⁽¹⁾ अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल—3 में अपील प्राधिकारी को आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया जाएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए।

⁽²⁾ प्ररूप जीएसटी एपीएल—03 में अपील की हार्डकॉपी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित और अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपील संख्या दी जाएगी।"